प्रेषक,

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

- 1. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादूनः दिनांकः 🖽 अप्रैल, 2020

विषय— वन कार्यों योजना के अनुसार चीड़ का लीसा एकत्रित किये जाने तथा वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संलग्न पत्र संख्या—40-10/2020-DM-I(A) दिनांक 30 अप्रैल, 2020 द्वारा अवगत करवाया गया है कि तालाबन्दी के कारण राज्य में आवास कर रहे मजदूरों का उपयोग करते हुवे वन कार्यों योजना के अनुसार चीड़ का लीसा एकत्रित किये जाने तथा वृक्षों का पातन किये जाने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश संख्या—40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 16 अप्रैल, 2020 द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत किये जा चुके है।

कृपया भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त दिशा—निर्देशों के अधीन चीड़ का लीसा एकत्रित करने की कार्यवाही hygiene, social distancing मानको का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)

F. No.40-10/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Disaster Management Division)

North Block, New Delhi-110001 Dated 30th April, 2020

To.

The Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun.

Subject: Pine resin tapping & collection and felling of trees as per the forest working plans using local labour and stranded migrant labour-regarding.

Sir,

I am directed to refer to your D.O. letter No.221/PS-CS/2020 dated 22nd April, 2020 addressed to Home Secretary on the subject mentioned above and to clarify that the issues raised by the State Government are covered in this Ministry's Order No. 40-3/2020-DM-I(A) dated 16th April, 2020.

Yours faithfully.

(Ashish Kr. Singh) Under Secretary to the Govt. of India

Tel:23438103